



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावर

दिनांक – 26.01.2025

थाना मण्डावर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रो के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रो को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना मण्डावर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अभिषेक उर्फ अण्डा पुत्र संजीव निवासी रतनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस



315 बोर सहित गिरफ्तार किया । इस संबंध मे थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 14/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभिषेक उर्फ अण्डा पुत्र संजीव निवासी रतनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1-मु0अ0सं0 345/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 2-मु0अ0सं0 420/23 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 3-मु0अ0सं0 422/23 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 4-मु0अ0सं0 211/24 धारा 115(2)/118(1)/351(2)/351(3)/352/109 बीएनएस थाना मंडावर बिजनौर ।
- 5- मु0अ0सं0 14/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1075 अजीत थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
3. का0 101 सुमित थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
4. का0 2103 शिवाँक त्यागी थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।